

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

फुली देवी बनाम गजानन्द कुमावत वगै०

किस्म मुकदमा:- दावा

मुकदमा नम्बर:- 52/2021

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुवग की
तालीग में जाशी
हुये

04.05.2021

वादीया की ओर से श्री विक्रम सिंह बांकावत एड० ने उपस्थित होकर दावा पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन साधारण तरीके से की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 02.06.2021 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर)

02.06.2021

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीया व पक्षकार वादिया उपस्थित। प्रकरण में वकील वादीया ने अवगत कराया कि प्रकरण में वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने से बाद पत्र को विज्ञा कर खारीज किये जाने का निवेदन वकील वादीया द्वारा किया गया है। अतः वकील वादीया के निवेदन पर वादपत्र को विज्ञा कर खारिज किये जाने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



के. प्र. गुप्ता

Id. 48

2.06.2021

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)

सहायक कलेक्टर (फास्टट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर)

